भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर‍ शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्या : 1129

उत्तर देने की तारीख : 16 दिसम्‍बर, 2013

**सम विश्वविद्यालयों की अधिसूचना रद्द किया जाना**

**1129. श्री के॰ एन॰ बालगोपालः**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में 44 सम विश्वविद्यालयों की अधिसूचना रद्द करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं और तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त संस्थाओं के छात्रों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े यह सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री**

**(डा. शशि थरूर)**

**(क) और (ख) :** जी, हां। सम विश्‍वविद्यालयों की कुछ संस्‍थाओं में शैक्षिक मानकों के अवमिश्रण के बारे में सामान्‍य अवधारणा के अनुसरण में सरकार ने सम विश्‍वविद्यालय संस्‍थाओं के कार्यकरण और उनकी जारी रहने की वांछनीयता की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2009 में विख्‍यात शैक्षिक विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में उन 44 संस्‍थाओं को अनाधिसूचित करने की सिफारिश की थी जो सम विश्‍वविद्यालय का दर्जा पाने के लिए अधिकांश मानदंडों को पूरा करने में असफल रही। तथापि, चूंकि माननीय उच्‍चतम न्‍यायालय ने सरकार को यथा पूर्व स्थिति बनाए रखने हेतु निदेश दिया था, अत: किसी भी सम विश्‍वविद्यालय को अनाधिसूचित नहीं किया गया है। यह मामला इस समय निर्णयाधीन है। इन 44 संस्‍थाओं के नाम [www.mhrd.gov.in](http://www.mhrd.gov.in) पर उपलब्‍ध हैं।

**(ग) :** इन 44 सम विश्‍वविद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने हेतु सरकार ने समीक्षा समिति की सिफारिश के कार्यान्‍वयन के संबंध में सरकार को कार्रवाई योजना पर सलाह देने के लिए समीक्षा समिति के सदस्‍यों को ही शामिल करते हुए एक कार्य बल का गठन किया। इस बल ने इन संस्‍थाओं को सात वर्गों में वर्गीकृत किया और प्रत्‍येक वर्ग में छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए संभावित उपाय सुझाए। तथापि, इन 44 सम विश्‍वविद्यालयों के संबंध में उच्‍चतम न्‍यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश को देखते हुए इस रिपोर्ट पर आगे और कोई कार्रवाई नहीं की गई।

\*\*\*\*\*